

::आदेशः

भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून से जारी पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 07-07-2024 से दिनांक 11-07-2024 तक उत्तराखण्ड के जनपदों में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यन्त भारी वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किये जा रहे बुलेटिन एवं एडवाइजरी के आधार पर जनपद ऊधमसिंह नगर में दिनांक 06.07.2024 की रात्रि से दिनांक 07.07.2024 तक 63 मि०मी० औसत वर्षा दर्ज की गयी है वर्तमान में जनपद में हो रही वर्षा से नदी-नाले उफान में है, साथ ही पहाड़ी जनपदों में हो रही लगातार वर्षा से नदी-नालों के जलस्तर अधिक से अधिक बढ़ने की सम्भावना के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-30(2) में प्रदत्त शक्तियों और कृत्य के आधार पर छात्रहित एवं बाल्यहित को देखते हुए (कक्षा 01 से 12 तक संचालित)समस्त राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन दिनांक 08.07.2024 (सोमवार) को बन्द रहेगा।

अतएव निर्देशित किया जाता है कि समस्त तहसील एवं सम्बन्धित विभाग उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यालय उक्त आदेश की अवहेलना करता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
दिनांक 07 जुलाई 2024


(उदय राज सिंह)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं आपातकालीन परिचालन केन्द्र, ऊधम सिंह नगर।

दूरभाष नं० 05944-250250/250719 फैक्स नं० 250103 टोल फ्री नं० 1077 email.ddmausn@gmail.com

पत्र संख्या- 2104/आ०प्र०प्रा०/आदेश/2024-25


दिनांक 07 जुलाई 2024

प्रतिलिपि:-

- 01-सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02-महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 03-आयुक्त, कुमाउ मण्डल नैनीताल को सूचनार्थ।

निम्नांकित को अनुपालनार्थ:-

01. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर।
02. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
03. मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
04. समस्त उपजिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
05. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
06. जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक/माध्यमिक, ऊधमसिंह नगर।
07. जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, ऊधमसिंह नगर।
08. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
09. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, जनपद ऊधमसिंह नगर।
10. जिला सूचना अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनहित के दृष्टिगत प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उक्त आदेश का निःशुल्क प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधमसिंह नगर।

::आदेशः

भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून से जारी पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 07-07-2024 से दिनांक 11-07-2024 तक उत्तराखण्ड के जनपदों में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यन्त भारी वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किये जा रहे बुलेटिन एवं एडवाइजरी के आधार पर जनपद ऊधमसिंह नगर में दिनांक 06.07.2024 की रात्रि से दिनांक 07.07.2024 तक 63 मि०मी० औसत वर्षा दर्ज की गयी है वर्तमान में जनपद में हो रही वर्षा से नदी-नाले उफान में है, साथ ही पहाड़ी जनपदों में हो रही लगातार वर्षा से नदी-नालों के जलस्तर अधिक से अधिक बढ़ने की सम्भावना के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-30(2) में प्रदत्त शक्तियों और कृत्य के आधार पर छात्रहित एवं बाल्यहित को देखते हुए (कक्षा 01 से 12 तक संचालित)समस्त राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन दिनांक 08.07.2024 (सोमवार) को बन्द रहेगा।

अतएव निर्देशित किया जाता है कि समस्त तहसील एवं सम्बन्धित विभाग उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यालय उक्त आदेश की अवहेलना करता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

दिनांक 07 जुलाई 2024

(उदय राज सिंह)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,

ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं आपातकालीन परिचालन केन्द्र, ऊधम सिंह नगर।

दूरभाष नं० 05944-250250/250719 फैक्स नं० 250103 टोल फ्री नं० 1077 email.ddmausn@gmail.com

पत्र संख्या-2104/आ0प्र0प्रा0/आदेश/2024-25

दिनांक 07 जुलाई 2024

प्रतिलिपि:-

- 01-सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02-महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 03-आयुक्त, कुमाउ मण्डल नैनीताल को सूचनार्थ।

निम्नांकित को अनुपालनार्थ:-

01. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर।
02. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
03. मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
04. समस्त उपजिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
05. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
06. जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक/माध्यमिक, ऊधमसिंह नगर।
07. जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, ऊधमसिंह नगर।
08. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
09. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, जनपद ऊधमसिंह नगर।
10. जिला सूचना अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनहित के दृष्टिगत प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उक्त आदेश का निःशुल्क प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,

ऊधमसिंह नगर।